

अभियुक्त उपरोक्त को उक्त अपराध में की गयी स्वीकृति के
आधार पर दोषी पाते हुए मु० 1000/-रुपया(एक हजार मात्र)
उर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 03 दिन/दिनों के साधारण
कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या 2 आगरा।